कार्यालय कलेक्टर,जिला–खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक/4676 /नजारत/2019, खरगोन दिनांक24/05/2019

अत्यावश्यक

:: वाहन किराये पर लिये जाने हेतु विज्ञप्ति ::

जिला खरगोन के अन्तर्गत जिले के तहसीलदारों/अतिरिक्त तहसीलदारों को अपने क्षेत्र अधिकार में भ्रमण के लिए महेन्द्रा कम्पनी का (06+01) बोलेरो/स्कार्पियों वाहन के समकक्ष कुल 12 वाहन मासिक किराये पर लिये जाने हेतु सीलबन्द निविदा दिनांक 07/जून/2019 तक समय 01.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को निविदा समिति द्वारा उसी दिनांक को सायं 04.00 बजे कलेक्टर कार्यालय खरगोन के विवेकानन्द सभागृह में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी ।

वाहन का मॉडल 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। निविदा की शेष शर्ते वेबवाईट **www.Khargone.nic.in** तथा कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

संलग्नः– निविदा की विस्तृत शर्ते (01से 20 तक)।

24/5/19

कलेक्टर,
जिला–खरगोन(म0प्र0)

पृ0क्रं0/4677 /नजारत/2019, खरगोन दिनांक24/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओंर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, (विज्ञापन) जनसम्पर्क संचालनालय, म0प्र0शासन बाणगंगा रोड़ जनसम्पर्क भवन भोपाल की ओंर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0खरगाने की ओंर जिले की वेबवाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी(रा0 समस्त)..
5. सहायक संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय खरगोन की ओंर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. तहसीलदार/मुख्य कार्यापालन अधिकारी,जनपद पंचायत(समस्त)........................ की ओंर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

24/5/19

कलेक्टर,
जिला–खरगोन(म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर, जिला–खरगोन (म.प्र.)

निविदा की शर्ते

1– वाहन (6+1) की क्षमता का ही होना अनिवार्य है, आवश्यकता से अधिक निविदाकार सफल होने की स्थिति में नवीन वाहनो को प्राथमिकता दी जावेगी।

2– निविदाकर्ता के पास वाहन के सभी तकनींकी पेपर्स/रजिस्ट्रेशन बीमा/परमिट/फिटनेश पंजीयन/वाहन चालक का डायविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।

3– निविदाकर्ता को वाहन मय चालक के उपलब्ध कराना होगा।

4– वाहन पर होने वाले समस्त व्यय (पी0ओ0एल0 को छोड़कर) वाहक मालिक को भुगतान करना होगा।

5– वाहन एक वर्ष अर्थात 01 जुन 2019 से 31 मई 2020 तक का अनुबंध होगा। संचालित वाहन अच्छा होने/वाहन चालक का व्यवहार अनुकूल होने पर वाहन की अवधि आगामी 01 वर्ष हेतु बढ़ाये जाने का अधिकार कलेक्टर खरगोन का रहेगा।

6– वाहन में पी0ओ0एल0 की औसत खपत कम से कम 13 कि0मी0 प्रति लीटर ही मान्य होगा।

7– वाहन मासिक किराये पर अनुबंधित होगा, जिसका भुगतान शासन से आवंटन प्राप्त होने पर किया जावेगा।

8– वाहन का अनुबन्ध स्वीकृत होने पर अनुबन्ध का निष्पादन राशि 500/– के स्टाम्प पर वाहन मालिक एवं संबंधित अधिकारी के मध्य होगा।

9– वाहन का अनुबन्ध स्वीकृत कर्ता कलेक्टर खरगोन होगे। वाहन जिले की किसी भी तहसील में भेजे जाने का निणर्य कलेक्टर खरगोन का ही रहेगा।

10– प्रत्येक वाहन के लिए निविदा जमा कराते समय अमानत राशि रूपये 10,000/– (अक्षरी रू.दस हजार मात्र) का **''चैक /डी.डी.कलेक्टर जिला खरगोन के नाम से देय हो''** (पूर्व से अमानत राशि जमा होने पर राशि 10,000/– का चैक/डी.डी.जमा करना अनिवार्य नही है)

11– सफल निविदाकार को 07 दिवस के अन्दर वाहन संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियत अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

12– अनुबंधित वाहन खराब होने की दशा में अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था वाहन मालिक को 03 घण्टे के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

13– निविदाकर्ता को वाहन की लॉकबुक संधारित कर तहसीलदार से प्रमाणित होने के पश्चात ही प्रस्तुत देयक के आधार पर किराया राशि का भुगतान किया जावेगा।

14– निविदाकार को म0प्र0शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

15– किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि होने पर वाहन मालिक इसके लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा तथा समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा एवं किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन मालिक का होगा, यदि कोई वैद्यानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय व्दारा की जाती है, तो उसकी सम्पूर्ण जबाबदारी वाहन प्रदाता की होगी इस हेतु शासन द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जावेगा।

..........2.........

16– अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह अनुबन्ध में उल्लेखित शर्तो का पूर्णरूप से पालन नहीं होने पर 15 दिवस की अवधि में सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त की जाकर जमा अमानत राशि राजसात करने का अधिकार होगा।

17–. अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति से जिले के बाहर शासकीय प्रयोजन हेतु अनुबंधित वाहन भेजने हेतु वाहन मालिक बाध्य रहेगा।

18– किसी भीं तरह के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा।

19– निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला खरगोन का होगा तथा यह अंतिम व बंधनकारी होगा ।

24/5/17

कलेक्टर,
जिला–खरगोन(म.प्र.)